

व्याकरण वेदाङ्ग

डा० धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

वेद के छः अङ्गों में व्याकरणशास्त्र तीसरा अङ्ग है और वह वेदपुरुष का प्रमुख अङ्ग है। पाणिनीय शिक्षा में ‘मुखं व्याकरणं स्मृतम्’ कहा गया है। मुख होने के कारण व्याकरणशास्त्र का मुख्यत्व स्वयंसिद्ध है।

शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय आदि का निर्धारण करके अर्थबोध कराना व्याकरणशास्त्र का ही कार्य है— ‘व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति शब्दज्ञानजनकं व्याकरणम्’। किस शब्द में कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है तथा तदनुरूप शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, इन तथ्यों का सही ज्ञान व्याकरण के अध्ययन के अभाव में सम्भव नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत पढ़ने के बाद भी व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य है।

‘व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्’ अर्थात् जिस वेदांग शास्त्र से शब्दों की रचना की जाय वह व्याकरण है। जिस तरह संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती है, एक वैदिक और दूसरी लौकिक, उसी तरह उसका व्याकरण भी दो प्रकार का होता है, एक वैदिक और दूसरा लौकिक, जो अपने-अपने संस्कृत सम्बन्ध रखते हैं। वैदिक व्याकरण को प्रातिशाख्य कहते हैं। पाणिनिकृत व्याकरण की तरह ही इसके भी वर्णन क्रम हैं; विषय-प्रवेश भी वैसा ही है। पर पाणिनि की तरह इसमें प्रत्येक शब्द और धातु का साधन नहीं है; केवल विशद रूप में स्वर-विषयक बातें ही विस्तीर्ण की गई हैं। शब्दों की सिद्धि पर तो बहुत ही संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। किसी तरह वैदिक ऋचाओं के प्रयोगों को सिद्धमात्र कर देना ही प्रातिशाख्य का मुख्य उद्देश्य है। प्रतृण और निर्भुज आदि पाठ-प्रणालियों का उच्चारण करते समय जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उन्हें लक्ष्य कर ही प्रातिशाक्यकार ने सूत्र बनाये हैं जिससे उनका उच्चारण सुख पूर्वक हो सके। इसके वर्णनीय विषयों में एक विषय छन्द का भी है जिसका स्पर्शमात्र भी पाणिनि आदि ने नहीं किया है।

ऋग्वैदिक प्रातिशाख्य को महर्षि शौनक ने रचा है, जिसका भाष्य उवट ने किया है। घुणाक्षर न्याय से इसमें सामवेद के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाला गया है। कई प्रातिशाख्य हैं जिनमें चारों संहिताओं के शब्दों का विवरण है। उनकी रचना की आवश्यकता ऋषियों ने जिस भाषा में वेद मंत्रों की रचना की थी वही उनकी शुद्ध मातृभाषा थी। पर काल पाकर वेदों की उक्त साहित्यिक भाषा में तत्कालीन बोल-चाल के अपभ्रष्ट शब्द भी घुसने लगे जिसका प्रमाण वेदों में ‘नवधा’ के स्थान पर ‘नीधा’ और ‘लुब्ध’ के स्थान पर ‘लोध’ का पाया जाना है। अतः उन्हें अपनी मातृभाषा के शुद्धरूप की रक्षा की चिन्ता हुई और उसी चिन्ता का फल प्रातिशाख्य के रूप में प्रकट हुआ। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि हमारे यहाँ व्याकरण-रचना का प्राचीनतम प्रयत्न प्रातिशाख्यों के रूप में किया गया। प्रातिशाख्य का अर्थ है, वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाओं अथवा सम्प्रदायों में प्रचलित रूप, लक्षण आदि का नियमबद्ध वर्णन। उनमें बहुत से व्याकरणापेक्षित विषयों का उल्लेख पाया जाता है।

उपलब्ध प्रातिशाख्यों के नाम-इस समय ६ प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं- (१) ऋक् प्रातिशाख्य, जिसको पार्षद सूत्र भी कहते हैं। यह महर्षि शौनककृत है। इसकी रचना छन्दोबद्ध है। तीन अध्यायों और १८ पटलों में विभक्त है। (२) शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य। यह कात्यायन मुनि की रचना है और ८ अध्याय में विभक्त है। (३) सामवेद प्रातिशाख्य जो महर्षि पुष्पकृत है। यह पुष्प सूत्रों के भी नाम से प्रसिद्ध है। (४) अर्थर्प्रातिशाख्य जो सूत्रों में निबद्ध है। (५) चतुरध्यायी नामक ग्रन्थ जो अर्थवेद के ही प्रातिशाख्य के रूप पाया जाता है। (६) कृष्णयजुर्वेद का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। इसके कर्ता का अभी तक पता नहीं है। इसमें चौबीस अध्याय हैं।

प्रातिशाख्यों का विषय, अपनी-अपनी शाखा की विलक्षणता के विवरण को छोड़कर, आगे-पीछे करके प्रायः एक-सा ही पाया जाता है।

प्रातिशाख्यों के विषय- (१) वर्णसाम्नाय स्वर व्यंजनों की गणना तथा उनके उच्चारणादि के नियम। (२) सन्धि- अच्, हल्, विसर्ग आदि। (३) प्रगृह्य संज्ञा, अवग्रह अर्थात् पद विभाग के नियम तथा इसके अपवाद-सूत्र। (४) उदात्त और अनुदात्त शब्दों की गणना, स्वरित के भेद और आख्यात स्वर। (५) संहिता पाठ-पद पाठ में भेद-प्रदर्शक नियम-सत्त्व, षत्व, दीर्घ आदि का विवरण। (६) अर्थर्प्रातिशाख्य में संहिता-पाठ और पद-पाठ के सिवा क्रम-पाठ के भी नियम बतलाये गये हैं और

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में इन तीनों के सिवा जटा पाठ के भी नियमों का उल्लेख है। (७) साम-प्रतिशाख्य में सामवेद की भिन्न-भिन्न प्रकार की गीतों में प्रश्लेष, विश्लेष, वृद्ध, वृद्ध, गत, प्रगत, उच्च, नीच, कृष्ट, कृष्ट संकृष्ट आदि उच्चारण-कृत भेदों का वर्णन भी पाया जाता है। प्रातिशाख्यों की अपूर्णता प्रातिशाख्यों के अध्ययन से पता चलता है कि वे सारी व्याकरण प्रक्रिया को सन्मुख रखनेवाले नहीं हैं। किन्तु बाह्य परिवर्तन, सन्धि आदि तथा स्वर, ध्वनि आदि के प्रतिपादक शास्त्र मात्र हैं, जिनका लक्ष्य विशेषतः अर्थ का निर्धारण नहीं है; किन्तु शाखाओं की विलक्षणता तथा संहिता-पाठ, पद पाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि की कल्पना द्वारा पवित्र वेद पाठ को सुरक्षित रखना है। यद्यपि प्राचीन काल में इन्हीं विषयों के अनेक सम्प्रदाय तथा आचार्य हो चुके थे या विद्यमान थे; तथापि वैदिक भाषा के प्रचलित भाषा न होने के कारण वैदिक व्याकरण की सूक्ष्म बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वह समय व्याकरण का केवल शैशव काल ही कहा जा सकता है। सन्धियों के भिन्न-भिन्न नामों, कृत्रिम संज्ञाओं तथा प्रत्याहारों एवं सूत्रों की वैज्ञानिक रचना का अभाव इस बात को सिद्ध करता है। विशेष कर व्याकरण का प्रधान अंग जो शब्द रचना है वह प्रातिशाख्यों में नहीं पाया जाता जिस से वेद के गम्भीर भावों का अध्ययन किया जा सके।

किसी भी शास्त्र के अध्ययन के लिये यह आवश्यक होता है कि उस शास्त्र का प्रयोजन जाने; क्योंकि प्रयोजन के बिना किसी कार्य में मन्द पुरुष की भी प्रवृत्ति नहीं होती- ‘प्रयोजनमनुद्दिश्य मूढोऽपि न प्रवर्तते’। अतः उस शास्त्र का प्रयोजन-ज्ञान आवश्यक होता है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोकवार्तिकमें ठीक ही कहा है-

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्।

यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्णते॥

अर्थात् सब शास्त्र या किसी कर्म का जबतक प्रयोजन न कहा जाय, तबतक उसमें किसी की प्रवृत्ति कैसे होगी? यह ठीक है, किंतु इस विषय में श्रुति कहती है कि ‘ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गे वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च’ अर्थात् ब्राह्मण (द्विजमात्र) के द्वारा अनिवार्य संध्या-वन्दनादि की तरह धर्माचरण तथा षडङ्ग वेदों का अध्ययन एवं मनन किया जाना चाहिये। फिर भी मुनिवर कात्यायन ने प्रयोजन का

E-Learning material prepared by Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi, Assistant Professor,
Department of Sanskrit, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi

उद्देश्य बतलाते हुए कहा- 'रक्षोहागमलध्वसंदेहः व्याकरणप्रयोजनम्'। अर्थात् रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह-ये व्याकरण-अध्ययनके प्रयोजन हैं।

रक्षा-इस विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिने कहा है कि 'वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। लोप, आगम और वर्ण-विकार को जाननेवाला ही वेदोंकी रक्षा कर सकेगा'। कहनेका अभिप्राय यह है कि व्याकरण के नियमानुसार वर्ण-लोपादि के ज्ञान के बिना शास्त्रों के आकर स्वरूप वेद का परिपालन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं; कात्यायन और पतञ्जलि का मत है कि व्याकरणज्ञान के अभाव में मन्त्रों में विकार उत्पन्न होगा। निष्कर्ष यह है कि व्याकरण पुरुषार्थ का साधक उपाय है, क्योंकि वेदार्थ-ज्ञान, कर्मानुष्टानजनित और उपनिषद्-जनित सुख वस्तुतः व्याकरण अध्ययन का ही फल है।

ऊह-ऊहका अर्थ होता है तर्क-वितर्क अर्थात् नूतन पदों की कल्पना। मीमांसकों का कहना है कि यह विषय तो मीमांसा शास्त्र का है। इस विषय में भाष्यकार पतञ्जलि का मत है कि 'वेद में जो मन्त्र कथित हैं, वे सब लिङ्गों एवं विभक्तियों में नहीं हैं। अतः उन मन्त्रों में यज्ञ में अपेक्षित रूप से लिङ्ग और विभक्ति का व्यतिहार करना चाहिये और यह दुष्कर कार्य वैयाकरणके द्वारा ही सम्भव है। अतः व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये।

आगम- व्याकरण के अध्ययन के लिये स्वयं श्रुति ही प्रमाणभूत है। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण (द्विज) का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह 'निष्कारणधर्म का आचरण तथा अङ्गसहित वेद का अध्ययन करे। वेद के षडङ्गों में व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया प्रयत्न विशेष फलवान् होता है। अतः श्रुति प्रामाण्य को ध्यान में रखकर व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये।

लघु-इस विषय में श्रुति कहती है कि देवगुरु बृहस्पति इन्द्र को दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त अध्यापन किया, फिर भी विद्याका अन्त नहीं हुआ। संक्षेपीकरण की आवश्यकता थी। अतएव महर्षि पतञ्जलि ने कहा कि शास्त्र का लघुता सम्पादन भी व्याकरण का प्रयोजन है।

असंदेह- व्याकरण प्रयोजन के विषयमें अन्तिम कारण है- असंदेह। संदेह को दूर करनेके लिये व्याकरण का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जैसे-'स्थूलपृष्ठीम्' यहाँ बहुवीहि समास होगा अथवा तत्पुरुष? यही संदेह का स्थान विचार में है। निष्कर्ष यह है कि अवैयाकरण मन्त्रों के स्वर-विचार में

कदापि समर्थ नहीं हो सकेगा, इसलिये व्याकरणशास्त्र सप्रयोजन है। भले ही मीमांसक इस विषयमें आक्षेप करते हों। वैयाकरण तो स्पष्टरूप से कहते हैं-

यद्यपि बहुनाथीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृच्छकृत्।

अर्थात् हे पुत्र! तुमने अनेक अन्य शास्त्रों का तो अध्ययन किया, फिर भी व्याकरणशास्त्र अवश्य पढ़ो, जिससे तुम्हें शब्दोंका यथार्थ ज्ञान हो सके।

महर्षि पतञ्जलि ने तो उपर्युक्त प्रयोजनों के अतिरिक्त म्लेच्छता-निवारण को भी प्रयोजन कहा है, जिससे अपशब्दोंका प्रयोग सम्भव न हो। इस विषय में शतपथ ब्राह्मण भी सहमत है। अतः व्याकरण का अध्ययन सप्रयोजन है, क्योंकि कहा गया है- ‘एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति’। अर्थात् एक शब्दका भी अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका प्रयोग किया जाय तो स्वर्गलोक में तथा इस लोक में सफलता प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐन्द्र आदि आठ व्याकरणों में कौन-सा व्याकरण वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आजकल प्रचलित और प्राप्त व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है। साथ ही अन्य व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण अधिक लोक-प्रचलित और लोकप्रिय है। अतः प्राचीन तथा सर्वाङ्गपूर्ण होने के कारण पाणिनीय व्याकरण ही वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ऐन्द्र आदि व्याकरणों की प्राचीनता के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिये।

व्याकरण की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है, परन्तु सर्वांगपूर्ण, सुव्यवस्थित व्याकरण छठीं शताब्दी ई०पू० से प्रारम्भ हुआ जब महर्षि पाणिनि ने तीन हजार नौ सौ छियान्बे सूत्रों से समन्वित, आठ अध्यायों से संवलित अष्टाध्यायी संज्ञक ग्रन्थ की रचना की। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ‘गागर में सागर’ वाली उक्ति को चरितार्थ करने वाला ग्रन्थ है। इसमें कुल आठ अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ बत्तीस पादों में विभक्त है। लौकिक संस्कृत के साथ ही साथ वैदिक भाषा का भी विवेचन पाणिनि की दृष्टि से नहीं बचा है। अष्टाध्यायी पर पतञ्जलि ने विस्तृत भाष्य की रचना की है, जिसे महाभाष्य संज्ञा से विभूषित किया गया है। कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि की दृष्टि से कतिपय ओझल तथ्यों का स्पष्टीकरण कर दिया है। इस प्रकार इन तीनों

E-Learning material prepared by Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi, Assistant Professor,
Department of Sanskrit, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi

मुनियों (पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि) को पाकर व्याकरणशास्त्र परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया है।

पाणिनीय व्याकरण की परिधि में वैदिक और लौकिक दोनों ही क्षेत्र आ जाते हैं। अष्टाध्यायी में वैदिक व्याकरण से सम्बद्ध प्रायः ५०० सूत्र हैं जो विभिन्न अध्यायों में बिखरे स्वरप्रक्रिया से सम्बद्ध सभी सूत्र प्रायः षष्ठ अध्याय के प्रथम और द्वितीय पादों में हैं। वेद से सम्बन्धित अधिसंख्य सूत्र अष्टम अध्याय में हैं। सिद्धान्त कौमुदीकार ने ‘वैदिकी प्रक्रिया’ के अन्तर्गत सभी सूत्रों का विषयानुसार वर्गीकरण कर दिया है।